भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1373
दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकरण

†1373. श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वर्तमान चुनौतियों के बीच पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता मे वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता को कब तक बढ़ाए जाने का विचार है;
(घ) क्या पंचायती राज सेवाओं से संबंधित नागरिक शिकायतों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ड़) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज निकायों के सशक्तिकरण और स्वायत्तता पर हाल ही में नीतिगत परिवर्तनों का विस्तृत प्रभाव क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कोष, कार्यों और कर्मियों के संदर्भ में शक्तियों के हस्तांतरण की अलग-अलग डिग्री, पीआरआई की क्षमता निर्माण के लिए आरजीएसए की योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के हिस्से की समय पर अनुपलब्धता या जारी न करना, ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों और पीआरआई के बीच समन्वय की कमी पंचायतों के प्रभावी कामकाज के रास्ते में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएं और कमियां हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर पीआरआई के कामकाज की आवधिक समीक्षा/भौतिक जांच करते हैं। इसके अलावा, राज्यों द्वारा पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण की स्थिति का आकलन करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न अध्ययन, विशेष रूप से पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण का कार्य किया जाता है और इसकी रिपोर्ट पीआरआई के कामकाज में सुधार के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ साझा की जाती है।

(ग) पंचायती राज राज्य का विषय है, इसलिए पंचायतों को कोष, कार्य और कार्यक्षमता इस तरह से सौंपना राज्यों की एकमात्र जिम्मेदारी है कि पंचायतें सशक्त हों और वित्तीय सहित अपने संसाधनों को जुटाने में सक्षम हों। पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर इस संबंध में राज्यों की सहायता करके सलाह देता रहा है। यह पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उनके स्तर पर सुधारात्मक उपायों के लिए अंतरण सूचकांक संकलित करने और उसके आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण/अध्ययन करता है।

(घ) पंचायती राज राज्य का विषय है, इसलिए किसी भी राज्य में पंचायतों द्वारा विभिन्न सेवाओं के वितरण पर शिकायतों का निवारण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय पारदर्शिता और दक्षता के साथ-साथ जीवन की सुगमता के आधार पर सेवाओं के ऑनलाइन वितरण की सलाह और उसे बढ़ावा दे रहा है।

(ङ) हाल के वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को आवश्यकता आधारित पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम बनाना, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों (2018-19 से लगभग 2.25 करोड़ प्रतिभागी) के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग 100% ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करना, ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे अनुप्रयोगों जैसे विभिन्न डिजिटल कार्यों को सौंपना, पीआरआई और सार्वजनिक व्यवहार के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-भुगतान मॉड्यूल-सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और सरकारी ई मार्केट प्लेस (जीईएम) अनुप्रयोग के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण; विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को ई-सक्षम बनाना; प्रभावी योजना और निष्पादन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना पंचायती राज मंत्रालय की कुछ प्रमुख नीति संचालित उपलब्धियां हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने अपनी योजना 'स्वामित्व' के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को अधिकारों के रिकॉर्ड के रूप में लगभग 2.03 करोड़ संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं।

***